पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प–2 ( ) सम्बद्धता/2018–19/2099 दिनांक 05.10.2018

परिपत्र

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ विरूद्ध राजस्थान सरकार व अन्य के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट पेटिशन नं. 13221/2018 के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2018 एवं तदानुसार अन्य आदेशों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के क्षेत्राधिकार में संचालित शिक्षण संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रोविजनल सम्बद्धता प्रदान कर उनके विद्यार्थियों को शिक्षण संकाय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने एवं तदानुसार दिनांक 30.06.2018 के विश्वविद्यालय के आदेशानुसार अक्षय निधि कोष गठित करने, संबंधित महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय द्वारा तय की गयी तिथियों को निरीक्षण करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि संबंधित महाविद्यालय निरीक्षण एवं प्रोविजनल सम्बद्धता के लिए पूर्ववर्ती शर्त के रूप में आवश्यक सम्बद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क विश्वविद्यालय में निम्नानुसार जमा करवायें, जिससे कि संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक सत्र 2018–19 की प्रोविजनल सम्बद्धता अभिवृद्धि/नवीन प्रोविजनल सम्बद्धता की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके:

S.No.	Name of Courses	Affiliation Fees
1.	B.Ed.	Rs. 90,750/- (Per Unit of 50 Students)
2.	B.A.- B.Ed Four Year Integrated Course B.Sc.- B.Ed Four Year Integrated Course	Rs. 1,37,500/- (Per Unit of 50 Students)

Note:-

1- The Cost of affiliation form will be Rs. 1,000/- per affiliation form for the session 2018-19.
2- The Colleges applying for Extension/New pay an Inspection fee of Rs. 20,000/- each. For Temporary Affiliation .
3- Demand Draft will be payable in the favor of REGISTRAR, PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR.
4- Schedule of Submission of affiliation Forms:-

S.No.	Process of offline submission of affiliation forms for the session 2018-19	Last Date for submission of hard copy with D.D. in the University.
1.	Last date for offline submission of affiliation forms by the Colleges without late fee.	13.10.2018
2.	With penalty equal to Affiliation fee and late fee (Rs. 500/- per Course/Subject) for offline submission forms by the colleges.	20.10.2018
3.	With penalty equal to double of affiliation fee and late fee (Rs. 1,000/- per Course/Subject) for offline submission forms by the colleges.	26.10.2018

विशेष नोटः

1. न्यायालय के आदेशानुसार शैक्षणिक संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु निर्देशित अक्षय निधि का गठन संबंधित सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा कर दिया गया है, अतः जिन महाविद्यालयों ने उक्त निधि का गठन कर लिया है, उन्हें अक्षय निधि कोष को पुनः गठित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. न्यायालय के समक्ष पेटिशनर द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि वह संबंधित महाविद्यालयों का उन तिथियों को निरीक्षण करवाने के लिए तैयार हैं, जो तिथियां रेस्पोन्डेन्ट नं. 4 (विश्वविद्यालय) द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
3. न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट नं. 4 (विश्वविद्यालय) को अपनी सुविधानुसार संबंधित महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है।
4. न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रोविजनल सम्बद्धता संबंधित महाविद्यालयों को संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए दे दी गयी है।
5. सम्बद्ध महाविद्यालय को प्रोविजनल सम्बद्धता निर्धारित प्रक्रियानुसार निरीक्षण करने, निरीक्षण का शुल्क जमा करवाने, सम्बद्धता शुल्क जमा करवाने के बाद ही दी जा सकती है। दिनांक 02.07.2018 को उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने प्रोविजनल सम्बद्धता सम्बद्ध महाविद्यालयों को बिना निरीक्षण एवं बिना निरीक्षण शुल्क व बिना सम्बद्धता शुल्क के प्रदान कर दी थी, क्योंकि इतने कम समय में इस सभी प्रक्रिया को निष्पादित किया जाना संभव नहीं था और न्यायालय के आदेश की आदर सहित पालना करनी थी। शैक्षणिक सत्र 2018–19 समाप्ति की ओर अग्रसर है, ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त शुल्क को निर्देशित तिथियों में जमा करवाने का निर्णय किया गया है।

कुलसचिव

क्रमांकः– प–2 ( ) सम्बद्धता/2018–19/2099 दिनांक 05.10.2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. वित्त नियंत्रक।
5. समस्त प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय जिला सीकर एवं झुन्झुनू।
6. प्रभारी वेबसाईट अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव